मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 16178 वि–12 / E-Marg / 2020 भोपाल, दिनांक 16 / 10 / 2020

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई

विषयः– ई–मार्ग (नेशनल) पर री–पैकेजिंग सुविधा के संबंध में।

––0––

ई–मार्ग नेशनल पर आ रही कठिनाईयों के संदर्भ मे दिनांक 17.09.2020 को NRIDA अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। इस दौरान कुछ पैकेजों को री–पैकेजिंग के माध्यम से ई–मार्ग पर पोर्ट करने की जानकारी दी गई थी। NRIDA द्वारा री–पैकेजिंग की सुविधा OMMAS Portal पर प्रभावी कर दी गई है। इस संबंध मे निम्नानुसार लेख किया जाता है–

प्रकरण जिनमें री–पैकेजिंग की आवश्यकता होगी–

i. किसी पैकेज की स्वीकृति OMMAS मे एक पैकेज के रूप मे अंकित है परंतु निर्माण के समय पैकेजे के मार्गो को अलग–अलग अनुबंधों के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया हो। उदहारण के लिए पैकेज क्र. MP 1811 के अंतर्गत स्वीकृत मार्गो को MP1811 A एवं MP 1811 B के अंतर्गत पूर्ण किया गया। इस स्थिति मे पैकेज MP1811 को OMMAS पर री–पैकेजिंग के माध्यम से अलग–अलग कर दिया जाएगा।

ii. किसी पैकेज नं. को उसी जिले मे अथवा अन्य जिले मे पुनः उपयोग मे लिया गया हो। उदहारण के लिए पैकेज क्र. MP1253 को डिंडौरी जिले मे वर्ष 2004–05 एवं 2011–12 मे दो बार उपयोग किया गया। इसी प्रकार पैकेज क्र. MP3231 को रीवा एवं बैतूल जिलों मे अलग–अलग समय पर उपयोग मे लाया गया है। इसकी पहचान के लिए OMMAS के सिटिजन सेक्शन मे Proposal के अंतर्गत उपलब्ध स्टेट वॉइज रोड लिस्ट (SLR) को Excel मे Download कर पैकेज नं. पर सर्च करने पर सम्पूर्ण प्रदेश मे एक समान क्र. वाले पैकेजों को चिन्हित किया जा सकता है। इस स्थिति मे चिन्हित किये गये पैकेजों को OMMAS पर री–पैकेजिंग के माध्यम से अलग–अलग कर दिया जाएगा।

iii. किसी पैकेज मे सम्मिलित मार्ग अलग–अलग अनुबंधों के अंतर्गत पूर्ण किये गये हो। उदहारण के लिए किसी पैकेज के अनुबंध को निर्माण अवधि मे टर्मिनेट करने पर सम्मिलित मार्गों मे से पूर्ण मार्गों को संधारण मे सम्मिलित कर लिया जाता है, अपूर्ण मार्गो को पूर्ण करने के लिए बैलेंस वर्क के अंतर्गत निविदा आमंत्रित कर पृथक अनुबंध के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। इस स्थिति मे OMMAS पर अंकित पैकेज को अनुबंधों के अनुसार री–पैकेजिंग के माध्यम से अलग–अलग कर दिया जाएगा।

उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों को री–पैकेजिंग की सुविधा OMMAS Portal पर ITNO के लॉगिंन पर दी गई है। इस हेतु एक प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है। आपकी इकाई मे यदि कोई पैकेज, री–पैकेजिंग हेतु चिन्हित है तो इस प्रपत्र मे जानकारी भरकर **mp-itno@pmgsy.nic.in** एवं **emargmprrda@gmail.com** ई–मेल पर प्रेषित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

15.10.2020

(पी.के. निगम)
प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

क्र. 16179 वि–12 / E-Marg / 2020 भोपाल, दिनांक 16 / 10 / 2020

प्रतिलिपि

1. श्री प्रदीप अग्रवाल, निदेशक (पी.–1), एन.आर.आई.डी.ए., पंचम तल, NBCC टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066 को सूचनार्थ।
2. श्री विवेक चितले, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं अतिरिक्त राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, Head GIS and OTG, NIC मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन भोपाल को सूचनार्थ।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबंधक (निविदा एवं ई–गवर्नेंस), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
5. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा एवं जबलपुर।
6. महाप्रबंधक (ई–मार्ग), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
7. टास्क मैनेजर, / मैनेजर आई.टी. म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।

– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

ई–मार्ग (नेशनल) पर री–पैकेजिंग के संबंध में जानकारी

क्र.	जिला	पीआईयू	मूल पैकेज क्र. (OMMAS के अनुसार)	स्वीकृति वर्ष (OMMAS के अनुसार)	मार्गों का नाम	लंबाई	प्रस्तावित री–पैकेजिंग (री–पैकेजिंग हेतु मूल पैकेज क्र. के साथ **R-1, R-2** आदि का उपयोग करें।)
1	2	3	4	5	6	7	8

नोटः– उदहारण के लिए मूल पैकेज मे **(MP01901)** 5 सड़के थी जिनमे से दो सड़कों हेतु एक अलग पैकेज बनाया जाना है अतः री–पैकेजिंग की जा सकती है

1	-	-	MP01901	2008-09	A to B	Km	MP01901R-1
2	-	-	MP01901	2008-09	X to Z	Km	MP01901R-1